

अनुबंध



## अनुबंध - 1.1

(पैरा सं. 1.1 एवं 6.3 के सन्दर्भ में)

### एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित राजकोषीय नीति विवरण तथा प्रकटन प्रपत्र

राजकोषीय नीति विवरण	
मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपी)	एमटीएफपी विवरण में तीन राजकोषीय संकेतकों, कर राजस्व तथा कुल बकाया देयताओं की अन्तर्निहित मान्यताओं की विशिष्टताओं के साथ जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित स्थिरता का मूल्यांकन, उत्पादक परिसम्पत्तियों को बनाने के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग शामिल है, के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य है।
राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफपीएस)	एफपीएस विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार की कर लगाने, व्यय, बाजार उधार और अन्य देयताओं, उधार और निवेश, प्रशासित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, प्रतिभूतियों तथा अन्य गतिविधियों के विवरण से संबंधित नीतियां शामिल हैं।
वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (एमएफ)	एमएफ विवरण में अर्थव्यवस्था के अवलोकन का निर्धारण, जीडीपी में वृद्धि, भुगतान संतुलन के चालू खाते में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के केन्द्र सरकार और बाह्य क्षेत्र के राजकोषीय संतुलन शामिल है।
मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण (एमटीईएफ)	एमटीईएफ विवरण में अन्तर्निहित मान्यताओं के विशिष्टीकरण तथा निहित जोखिमों के साथ प्रस्तावित व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल हैं।
प्रकटन प्रपत्र	
प्रपत्र संख्या	प्रकटन विवरण
डी-1	कर राजस्व एकत्रित किया गया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ
डी-2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी-3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी-4	परिसंपत्ति पंजिका
डी-5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयताएं
डी-6	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

अनुबंध - 3.1

(ग्राफ 3.1, 3.2, 3.4 तथा पैरा 6.1.1 के संदर्भ में)

घाटा, जीडीपी तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जीडीपी*	वार्षिक वित्तीय विवरण/संघ सरकार वित्त लेखा से प्राप्त					बजट एक नजर के अनुसार					राजकोषीय घाटा में अंतर
		राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान पर व्यय	राजस्व घाटा की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान पर व्यय	राजस्व घाटा की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	1	2	3=2-5	4	5	6=5/2	7	8=7-10	9	10	11	12=4-9
2012-13	99,46,636	3,64,582	2,48,872	4,94,514	1,15,710	31.7	3,64,282	2,48,572	4,90,190	1,15,710	31.8	4,324
2013-14	1,12,366,35	3,57,303	2,27,465	5,03,230	1,29,838	36.3	3,57,048	2,27,630	5,02,858	1,29,418	36.2	372
2014-15	1,24,45,128	3,66,228	2,35,468	5,15,948	1,30,760	35.7	3,65,520	2,34,760	5,10,725	1,30,760	35.8	5,223
2015-16	1,36,820,35	3,43,369	2,12,414	5,85,497	1,30,955	38.1	3,42,736	2,10,982	5,32,791	1,31,754	38.4	52,706
2016-17	1,51,83,709	3,17,030	1,50,470	5,37,799	1,66,560	52.54	3,16,381	1,50,648	5,35,618	1,65,733	52.4	2, 181

\* 2012-13 तथा 2013-14 के लिए जीडीपी अनुमान प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2017 से लिया गया है तथा 2014-15 से 2016-17 तक के लिए प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017 से।

**अनुबंध - 3.2**  
**(पैराग्राफ 3.3.2 के संदर्भ में)**  
**पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान मूल्यांकन में कमी**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वि.व. 2016-17 हेतु अनुमानों के अनुसार		अंतर	टिप्पणी
		व्यय बजट खण्ड I 2016-17	डीडीजी 2016-17		
1	2	3	4	5 = 3-4	6
1.	नागर विमानन मंत्रालय	140.5	138.8	1.7	डीडीजी 2016-17 में दर्शाए गे राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (एनएयू) के संबंध में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के ₹38.30 करोड़ की राशि को अनजाने में व्यय बजट खण्ड-I 2016-17 में ₹40.00 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है।
2	दूरसंचार विभाग	2,858.7	शून्य	2,858.7	दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के लिए वस्तु शीर्ष 35 का संचालन नहीं कर रहा है, इसलिए डीडीजी में शामिल नहीं है। यद्यपि, उपर्युक्त आंकड़ा ओएच 35 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया था।
3	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,366.18	1,388.60	(-) 22.42	
4	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	208.46	204.56	3.9	
5	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	4,287.54	4,292.04	(-) 4.5	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है।
6	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	439.82	386.82	53	
7	विधि एवं न्याय मंत्रालय	610	600	10	₹590 करोड़ मूल्य के न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान को व्यय बजट में ₹600 करोड़ दर्शाया गया था।
8	पंचायती राज मंत्रालय	0	119	(-) 119	मंत्रालय ने उनके भाग में गलती को स्वीकार किया।
9	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	12,256	12,281	(-) 25	₹25 करोड़ के लिए 'असंगठित क्षेत्र और मानव संसाधन विकास में ड्राइवर्स के रिक्रेशर प्रशिक्षण' की योजना व्यय बजट में शामिल नहीं की गई थी।
10	शहरी विकास मंत्रालय	8,440.93	8,282.63	158.30	मंत्रालय ने उनके भाग में गलती को स्वीकार किया।

2018 की प्रतिवेदन सं. 20

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वि.व. 2016-17 हेतु अनुमानों के अनुसार		अंतर	टिप्पणी
		व्यय बजट खण्ड I 2016-17	डीडीजी 2016-17		
1	2	3	4	5 = 3-4	6
11	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1,348.56	1,348.63	(-) 0.07	योजनाओं के अंतर्गत टोकन आवंटन अर्थात् 'निर्भया फंड के माध्यम से निधियन अन्य योजनाएं', 'प्रशिक्षण सह रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) को सहायता' और 'कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास' को वास्तव में व्यय बजट में नहीं लिया गया था।
12	विकलांग सशक्तिकरण विभाग	20.54	21.04	(-) 0.5	योजना के अंतर्गत ₹0.50 करोड़ आवंटन को संकेत भाषा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) संस्थान की स्थापना को व्यय बजट में छोड़ दिया गया है।
13	अल्पसंख्यक मंत्रालय	1,098.78	1,098.76	0.02	जीआईए से संबंधित ₹0.02 करोड़ - सामान्य एवं जीआईए - केन्द्रीय वक्फ परिषद के संबंध में वेतन को अनजाने में वस्तु शीर्ष व्यय बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान में रिपोर्ट किया गया था।
14	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	186.09	193.6	(-) 7.51	मंत्रालय ने उनके भाग में गलती को स्वीकार किया।
15	गृह मंत्रालय - पुलिस	1,130	2,010	(-) 880	मंत्रालय ने अनजाने में वित्त मंत्रालय को ₹2010 करोड़ के बजाए ₹1130 करोड़ अग्रेषित किया।
16	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	187.64	232.14	(-) 44.5	योजना आधारभूत संरचना विकास और क्षमता निर्माण के सामान्य श्रेणी (₹124.90 करोड़) के आंकड़े के रूप में टाइपोग्राफिकल त्रुटि सभी घटकों (₹ 169.40 करोड़) के कुल आंकड़ों के रूप में लिखी गई थी।
17	परिवहन मंत्रालय	176.00	154.00	22	व्यय बजट में "अन्य शुल्क" स्वदेश दर्शन, पीआरएएसएडी, एलआरजीपी, इत्यादि के अंतर्गत बजट प्रावधान का गलत उल्लेख किया गया था।
18	फार्मास्युटिकल्स विभाग	51.00	51.01	(-) 0.01	उप योजना में जीआईए-सीसीए के अंतर्गत ₹0.01 करोड़ का बजट प्रावधान - एनआईपीईआर के अंतर्गत थोक दवाओं के लिए आरएडडी के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना को व्यय बजट में नहीं लिया गया है।
19	कपड़ा मंत्रालय	772.53	786.22	(-) 13.69	
20	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	50.00	शून्य	50	डीडीजी में ओएच 31 (जीआईए - सामान्य), ओएच 60 (अन्य पूंजीगत व्यय) और ओएच 53 (मुख्य निर्माण कार्य) के अंतर्गत प्रावधान को व्यय बजट में शामिल करने हेतु ओएच 35 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय को भेजा गया था।
21	विद्युत मंत्रालय	6,439.18	6,439.07	0.11	
22	उच्चतर शिक्षा विभाग	8,710.89	7,573.94	1,136.95	व्यय बजट खंड I में आंकड़ों में अंतर आईआईटी के तहत आंकड़ा प्रविष्टि में अनजाने में त्रुटि के कारण है।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वि.व. 2016-17 हेतु अनुमानों के अनुसार		अंतर	टिप्पणी
		व्यय बजट खण्ड I 2016-17	डीडीजी 2016-17		
1	2	3	4	5 = 3-4	6
23	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,987.45	6,090.20	(-) 102.74	वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कुछ योजनाओं के बजट प्रावधान में परिवर्तन के कारण वस्तु शीर्ष 'पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान' के अंतर्गत संशोधित प्रावधान को व्यय बजट में शामिल नहीं किया गया था।
24	डाक विभाग	406.26	शून्य	406.26	विभाग ने बताया कि मुख्य शीर्ष 5201 तथा 4552 (पूँजीगत सेगमेंट) के अंतर्गत प्राप्त बजट प्रावधान से संबंधित ₹406.26 करोड़ के प्रावधान को अनुदान के लिए विस्तृत मांग में दर्शाया गया और ओएच 35 - पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के अंतर्गत नहीं।
25	रक्षा मंत्रालय	शून्य	141.75	(-) 141.75	
26	राजस्व विभाग	241.86	641.86	(-) 400	विभाग ने बताया कि अनुबंध-6 में आंकड़े गलत तरीके से दर्शाए गए थे।
27	जनजातीय मामले मंत्रालय	1,720.40	1,650.40	70	₹70.00 करोड़ की पूँजीगत अनुदान जिसे निवेश (54) के बजाय पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण शीर्ष (35) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
28	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय	3,546.00	3,863.00	(-) 317	डीडीजी के अनुसार क्रमशः प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संबंध में ₹495 करोड़ और ₹17 करोड़ का बजट प्रावधान व्यय बजट में ₹195 करोड़ और शून्य के रूप में दर्शाया गया था।
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान का कुल अधिक अनुमान					4,770.94
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान का कुल कम अनुमान					(-)2,078.69
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान का निवल अधिक अनुमान					2,692.25

अनुबंध - 3.3

(पैरा सं. 3.3.3 के संदर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वस्तु शीर्ष 35 से अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पुनर्विनियोग सं. एवं तिथि	से	तक	राशि
1.	जी-23011/31/2017- बीटी.(यूडी)(95/31)30 मार्च 2017	3601.04.315..02.05.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2216.05.800.04.01.14 गैर योजनागत/दत्तमत/ राजस्व खंड	12.43
2.	जी-23011/20/2017- बीटी.(यूडी)(95/26) 20 मार्च, 2017	2217.80.001.05.00.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2052.00.090.28.03.11, 12 तथा 13 गैर योजनागत/दत्तमत/ राजस्व खंड	1.76
3.	जी-23011/18/2017- बीटी.(यूडी)(95/24) 16 मार्च, 2017	2217.80.001.05.00.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2059.80.001.02.01.01, 05.00.01 तथा 2216.05.053.06.00.01 गैर योजनागत/दत्तमत/ राजस्व खंड	29.49
4.	जी-23011/01/2017- बीटी.(यूडी)(95/16) 30 जनवरी, 2017	2217.80.001.05.00.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2052.00.090.28.03.02, 06 तथा 11 तथा 2059.80. 800.01.00.02 तथा 28 गैर योजनागत/ दत्तमत/राजस्व खंड	2.71
5.	जी-23011/04/2017- बीटी.(यूडी)(95/14) 23 जनवरी, 2017	2217.80.001.05.00.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2217.80.001.06.03.20 तथा 28 योजनागत/ दत्तमत/राजस्व खंड	3.60
6.	जी-23011/18/2016- बीटी.(यूडी)(95/10) 13 दिसम्बर, 2016	2217.80.001.05.00.35 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	2217.80.191.09.00.31 योजनागत/दत्तमत/राजस्व खंड	0.47
<b>कुल</b>				<b>50.46</b>



## अनुबंध - 4.1

(पैरा सं. 4.3.1 के संदर्भ में)

2017 के प्रतिवेदन सं. 44 के पैरा में 4.4 में रिपोर्ट किये गये व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष जिसमें व्यय गलत तरीके से दर्ज किया गया था	राशि (₹ करोड़ में)
<b>(ए) पैरा सं. 4.4.1- पूंजीगत प्रकृति के व्यय का गलत वर्गीकरण राजस्व व्यय के रूप में</b>				
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	14.04
2.		3401	51/52	11.94
3.	14-दूरसंचार विभाग	3275	51	0.08
4.	58-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851	51/52	1.75
5.	85- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	0.06
<b>कुल (ए)</b>				<b>27.87</b>
<b>(बी) पैरा सं. 4.4.2-राजस्व प्रकृति के व्यय का गलत वर्गीकरण व्यय पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत</b>				
1.	4- परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	51.18
2.		5401	27	1.79
3.	14- दूरसंचार विभाग	5275	11/13/28	2.43
4.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	4076	50/43	20.98
5.	74-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	5054	11/13/20	10.01
6.	80-पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.75
		5052	13	5.40
7.	89-जनजातीय मामले मंत्रालय	4225	35	60.00
<b>कुल (बी)</b>				<b>152.54</b>
<b>(सी) पैरा सं. 4.4.3- राजस्व प्रकृति के व्यय का गलत वर्गीकरण व्यय पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत</b>				
1.	11-वाणिज्य विभाग	5453	53	38.77
2.	18-कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय	5475	53	3.74
3.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)	5054	53	2,031.71
4.	84-अंतरिक्ष विभाग		52/60	2.64
<b>कुल (सी)</b>				<b>2,076.86</b>
<b>(डी) पैरा सं. 4.4.3 - पूंजीगत प्रकृति के व्यय का गलत वर्गीकरण व्यय के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत</b>				
1.	20-रक्षा मंत्रालय (विविध)		01	17.71
2.	56-विधि एवं न्याय मंत्रालय		28	425.35
3.	61-नवीन एवं पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय		13	0.68
4.	84-अंतरिक्ष विभाग	3402	21	272.10
		3402	50	5.0
			21	0.47
5.	87-कपड़ा मंत्रालय		35	3.0
<b>कुल (डी)</b>				<b>724.31</b>
पूंजीगत व्यय की कम बयानी (ए+डी)				752.18
पूंजीगत व्यय का अधिक बयानी (बी+सी)				2,229.40
पूंजीगत व्यय का निवल अधिक बयानी				1,477.22

**अनुबंध - 4.2**

(पैरा सं. 4.3.2 के संदर्भ में)

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एकत्रित किये गये लेवी/उपकर का कम अंतरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेवी/उपकर	प्राप्तियां एकत्रित	निधि को अंतरण	कम अंतरण
1.	अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपकर आयात को उपलब्ध कराता है। यह अधिनियम तकनीकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा प्रशासित प्रौद्योगिकी विकास और आवेदन के लिए एक निधि के निर्माण को सक्षम बनाता है।	1,187.24	30.30	1,156.94
2.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	20,219.88	19,732.47	487.41
3.	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	1,941.23	0	1,941.23
4.	स्वच्छ वातावरण उपकर (पूर्व में-स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	26,117.25	6,436.23	19,681.02
5.	वर्ष के दौरान चाय पर उपकर को एकत्रित किया गया था और सीएफआई को जमा किया गया था को चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि में अंतरित किया जाना था।  (शीर्ष 8229.126)	62.28	शून्य	62.28
6.	चीनी पर उपकर (0038.04.119)	2,881.61	2,312.81	568.80
7.	कृषि कल्याण उपकर (0028.507/0044.507)	8,379.16	3,596.28	4,782.88
8.	वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत उपकर एकत्रित किया गया था और सीएफआई को जमा किया गया था, को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्थानांतरित किया जाना था।  (शीर्ष 8235.135)	12,475.39	10,000.00	2,475.39
<b>कुल</b>		<b>73,264.04</b>	<b>42,108.09</b>	<b>31,155.95</b>

## अनुबंध - 5.1

(पैरा सं. 5.2 के संदर्भ में)

## वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय अनुमान और वास्तविकता

व्यय का शीर्ष	वि.व. 16-17 के लिए अनुमान (वि.व. 2015-16 के लिए एमटीईएफ विवरणी में)	2016-17 के एमटीईएफ में बीई	बीई 2016-17 में प्रतिशत परिवर्तन (कॉ.3 के संबंध में कॉ.2)	वि.व. 2017-18 के लिए एमटीईएफ विवरणी में 2016-17 के लिए आरई	वास्तविक (बजट एक नजर में के अनुसार) (फरवरी 2018)	आरई 2015-16 में प्रतिशत परिवर्तन (कॉ.6 के संबंध में कॉ.2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>राजस्व व्यय</b>						
ब्याज	4,96,000	4,92,670	-0.67	4,83,069	4,80,714	-3
पेंशन	1,02,639	1,23,368	20.2	1,28,166	1,31,401	28
आर्थिक सहायता :						
उर्वरक	75,000	70,000	-6.67	70,000	66,313	-12
खाद्य	1,32,000	1,34,835	2.15	1,35,173	1,10,173	-17
पेट्रोलियम	32,000	26,947	-15.79	27,532	27,539	-14
राज्यों को अनुदान हेतु केंद्रीयकृत प्रावधान	1,06,646	1,12,996	5.95	1,15,616	1,32,704	24
रक्षा	1,79,876	1,68,380	-6.4	1,75,020	2,51,781	40
डाक घाटा	6,665	8,416	26.27	9,756	11,969	80
विदेश मामले	10,779	9,861	-8.52	9,758	12,753	18
गृह मामले	17,040	17,181	0.83	17,458	78,360	360
कर प्रशासन	14,540	14,631	0.66	14,418	22,146	52
वित्त	33,094	16,133	-51.25	10,749	41,549	26
शिक्षा	60,440	57,454	-4.94	57,890	72,016	19
स्वास्थ्य	28,951	30,597	5.69	31,825	39,005	35
सामाजिक कल्याण	27,044	32,501	20.18	32,695	31,812	18
कृषि एवं सहायक	24,003	46,841	95.15	49,798	50,184	109
वाणिज्य एवं उद्योग	15,146	14,473	-4.44	17,493	21,364	41
शहरी विकास	14,700	16,685	13.5	18,838	36,946	151
ग्रामीण विकास	84,413	1,02,438	21.35	1,14,747	1,13,877	35
उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास	2,406	1,931	-19.74	2,038	2,496	4
योजना एवं सांख्यिकी	6,510	4,400	-32.41	4,406	4,494	-31
वैज्ञानिक विभागों	11,429	11,710	2.49	11,625	19,493	71
ऊर्जा	9,992	18,167	81.82	16,604	30,964	210
परिवहन	15,092	42,143	179.24	12,785	1,02,200	577
आईटी एवं दूरसंचार	6,124	8,553	39.66	13,576	17,985	194
यूटी	6,889	7,255	5.31	7,615	13,258	92
अन्य	24,547	28,337	15.44	28,039	63,667	159

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पूंजीगत व्यय अनुमान

व्यय का शीर्ष	वि.व. 16-17 के लिए अनुमान (वि.व. 2015-16 के लिए एमटीईएफ विवरणी में)	2016-17 के एमटीईएफ में बीई	बीई 2016-17 में प्रतिशत परिवर्तन (कॉ.3 के संबंध में कॉ.2)	वि.व. 2017-18 के लिए एमटीईएफ विवरणी में 2016-17 के लिए आरई	आरई 2015-16 में प्रतिशत परिवर्तन (कॉ.5 के संबंध में कॉ.2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रक्षा	1,07,016	90,210	-15.7	84,460	-21.08
गृह मामले	9,751	9,271	-4.92	9,699	-0.53
वित्त	12,673	32,080	153.14	32,283	154.74
स्वास्थ्य	1,069	1,761	64.73	1,678	56.97
वाणिज्य एवं उद्योग	1,947	1,206	-38.06	2,945	51.26
शहरी विकास	12,125	11,502	-5.14	17,182	41.71
योजना एवं सांख्यिकी	382	29	-92.41	29	-92.41
वैज्ञानिक विभाग	4,148	3,549	-14.44	3,696	-10.9
ऊर्जा	6,630	9,380	41.48	9,259	39.65
परिवहन	79,518	64,535	-18.84	90,299	13.56
आईटी एवं दूरसंचार	3,255	3,098	-4.82	3,657	12.35
राज्यों को ऋण	13,125	12,500	-4.76	17,800	35.62
यूटी	2,138	1,867	-12.68	1,767	-17.35
अन्य	7,190	6,037	-16.04	5,095	-29.14

## अनुबंध - 6.1

(पैरा सं. 6.3.5 के संदर्भ में)

## मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रकटीकरण विवरणी के गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण

क्र.सं.	मंत्रालयों/विभागों का नाम	एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरणी पर टिप्पणी					
		डी-1	डी-2	डी-3	डी-4	डी-5	डी-6
1.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	प्रस्तुत नहीं	-	-	-	-	-
2.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	-	प्रस्तुत नहीं	-	-	-	-
3.	रसायनिक एवं पेट्रोरसायन विभाग	-	-	-	-	प्रस्तुत नहीं	-
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	प्रस्तुत नहीं	-	-	-	-	-
5.	भारी उद्योग विभाग	-	-	-	-	प्रस्तुत नहीं	-
6.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	-	-	-	-	प्रस्तुत नहीं	-
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	-	-	-	-	प्रस्तुत नहीं	-
8.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	प्रस्तुत नहीं	-	प्रस्तुत नहीं	-	-	-
9.	ग्रामीण विकास विभाग	प्रस्तुत नहीं	-	-	-	-	-
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	-	-	-	-	प्रस्तुत नहीं	-

